

प्राचीन गौरव हासिल करने हाईकोर्ट पहुंचे पृथ्वीराज चौहान के वंशज ओबीसी सूची में शामिल करने पर जताई आपत्ति

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। नोनिया चौहान जाति को ओबीसी सूची में शामिल करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ भारतीय क्षत्रिय महासभा और सांभरी क्षत्रिय राजपूत एकता फाउंडेशन ने आपत्ति जताई है। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय क्षत्रिय महासभा और सांभरी क्षत्रिय राजपूत एकता फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति की सूची में नोनिया बिरादरी के साथ लोनिया चौहान जाति दर्ज किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने लोनिया चौहान बिरादरी को ओबीसी की सूची से बाहर करने और उन्हें क्षत्रिय घोषित करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि लोनिया चौहान मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं,

जबकि राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें ओबीसी की सूची में नोनिया बिरादरी के संग शामिल कर दिया गया है। भारतीय क्षत्रिय महासभा



और सांभरी क्षत्रिय राजपूत एकता फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति की सूची में नोनिया बिरादरी के साथ लोनिया चौहान जाति दर्ज किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने लोनिया चौहान बिरादरी को ओबीसी की सूची से बाहर करने और उन्हें क्षत्रिय घोषित करने की

मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि लोनिया चौहान मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज चौहान के वंशज

हैं, जबकि राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें ओबीसी की सूची में नोनिया बिरादरी के संग शामिल कर दिया गया है। गौरतलब है कि छह सितंबर 1995 और 31 अगस्त 2002 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर लोनिया चौहान बिरादरी को नोनिया जाति की शाखा मानते हुए।

पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने याचिका वापस लाये

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति की सूची में नोनिया बिरादरी के साथ लोनिया चौहान जाति दर्ज किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को वापस ले ली। तकनीकी कारणों से याचिका को वापस ली गई है। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति की सूची में नोनिया बिरादरी के साथ लोनिया चौहान जाति दर्ज किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को वापस ले ली। तकनीकी कारणों से याचिका को वापस ली गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को नए सिरे से जनहित याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। याचिका के अधिवक्ता सुनील यादव ने बताया कि जरूरी दस्तावेजों के साथ नई याचिका

प्रधानाचार्य को निलंबित करने पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र मनाने में जुटे अधिकारी

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। छात्रों की पिटाई के मामले में निलंबित किए गए आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रधानाचार्य के समर्थन में विद्यालय के बच्चे उतर गए हैं। निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर बच्चों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सूचना पाकर तमाम अधिकारी मौकों पर पहुंच गए। करछना के खाई में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रधानाचार्य को निलंबित करने पर बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। निलंबन के विरोध में बच्चों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी होते ही जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बच्चों को मनाने में जुट गए हैं। बच्चों का कहना है कि जब तक प्रधानाचार्य को बहाल नहीं किया जाता है उनका विरोध प्रदर्शन जारी

रहेगा। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खाई करछना में प्रधानाचार्य मत्स्येंद्र नाथ त्रिपाठी



के निलंबन के विरोध में विद्यालय के सभी बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि प्रधानाचार्य को बहाल करके वापस इसी विद्यालय में भेजा जाए। बता दें कि प्रधानाचार्य को एक छात्र को प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित किया गया है, जबकि अन्य विद्यार्थियों का विद्यालय में विवाद की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस भी पहुंची, लेकिन छात्र नहीं माने। इसवे बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रजा पांडेय भी विद्यार्थियों को मनाने विद्यालय में पहुंचीं। प्रजा पांडे ने कहा कि विद्यार्थियों की मांग को शासन तक पहुंचाया जाएगा।

पुलिस की ओर से जब्त 22 ऊंटों की वापसी के लिए हाईकोर्ट में याचिका

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। अनस का आरोप है कि तब पुलिस ने जब्त ऊंट को वापस कर दिया। तब पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए उनकी कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी 22 ऊंट जब्त कर लिए थे। अनस का आरोप है कि तब पुलिस ने जब्त ऊंट को संरक्षण केंद्र भेजे जाने की जानकारी दी थी। अनस के अधिवक्ता शम्स-उज्जमा के अनुसार तीन वर्ष बीत जाने के बाद उस्मान ने इन ऊंटों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मेरठ प्रशासन को ऊंट वापस करने का आदेश दिया, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। इस पर इस बार अनस ने लापता हुए 22 ऊंटों की वापसी के लिए फिर याचिका दाखिल की।

गई है। मेरठ के लिसाडी गेट थाना क्षेत्र के अनस व उस्मान ने अगस्त 2019 में ईद के दौरान 22 ऊंट लिए थे। तब पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए उनकी कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी 22 ऊंट जब्त कर लिए थे। अनस का आरोप है कि तब पुलिस ने जब्त ऊंट को संरक्षण केंद्र भेजे जाने की जानकारी दी थी। अनस के अधिवक्ता शम्स-उज्जमा के अनुसार तीन वर्ष बीत जाने के बाद उस्मान ने इन ऊंटों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मेरठ प्रशासन को ऊंट वापस करने का आदेश दिया, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। इस पर इस बार अनस ने लापता हुए 22 ऊंटों की वापसी के लिए फिर याचिका दाखिल की।

महाकुंभ के बेहतर आयोजन के लिए देश के तकनीकी संस्थानों से आए 170 सुझाव

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। ट्रिपलआईटी, मेला प्राधिकरण की सहायता से करके अपने-अपने सुझाव भेजे हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी संस्थान को कुल 170 सुझाव प्राप्त हुए हैं। संस्थान इनका अध्ययन करके बेहतर सुझावों को शासन को साँप देगा। ट्रिपलआईटी, मेला प्राधिकरण की सहायता से आयोजित हैकार्थन के तहत तीन अलग-अलग थीम सुरक्षा और सर्विलांस, देख-रेख, प्रबंधन और वीआर तकनीक के जरिये मेला दर्शन पर सुझाव मांगे गए थे। कुल सुझावों में से फिलहाल 79 को अगले चरण के लिए चुना गया है। महाकुंभ-2025 के बेहतर आयोजन के लिए देश भर के तकनीकी संस्थानों ने विचार

गए थे। कुल सुझावों में से फिलहाल 79 को अगले चरण के लिए चुना गया है। हैकार्थन के नोडल अधिकारी प्रो. नीतेश पुरोहित ने बताया कि पहले सभी संस्थानों से संक्षेप में सुझाव मांगे गए थे। अगले चरण के लिए चुने गए संस्थानों से सुझावों में प्रयुक्त तकनीक और उसकी कार्यविधि की विस्तृत रूपरेखा मांगी गई है। इसके लिए एक से पांच मार्च तक का समय दिया गया है। बताया कि इसके बाद तीनों थीम के लगभग पांच-पांच सुझावों को दूसरे चरण (16-20 मार्च) के लिए चुना जाएगा। अंत में 21 मार्च को तीनों वर्गों से एक-एक सुझाव का चयन होगा, साथ ही सभी को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। बता दें कि महाकुंभ के दौरान सटीक सुरक्षा व्यवस्था, सर्विलांस, आगमन और भीड़ प्रबंधन के लिए एआई और मशीन लर्निंग तकनीक से योजना तैयार की जाएगी।



धारावाहिक-फिल्मों के पटकथा लेखक मेराज जैदी नहीं रहे सुपुर्दे खाक

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) प्रयागराज। मेराज जैदी अपने पीछे बेटे शोएब, शेखू, शेरू और बेटियों सुनैना, उज्जमा से भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं। मूल रूप से अंतरा, राजा का बाजा सहित दर्जनों धारावाहिकों के लिए कथा, पटकथा, संवाद लेखन किया था। वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को छोटे पर्दे पर जीवंत

स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वह तकरीबन 76 वर्ष के थे और बीते एक माह से बीमार थे। दोपहर बाद उन्हें दांड़पुर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वह अपने पीछे बेटे शोएब, शेखू, शेरू और बेटियों सुनैना, उज्जमा से भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं।



आधुनिक गेस्ट हाउस

- वाटर प्रूफ शेड
- पार्किंग की सुविधा
- मन्दिर की सुविधा
- सी.सी.टीवी.
- छोटे-बड़े कार्यक्रमों के अलग-अलग रेट
- 45000 sq. feet. एरिया
- हरे-भरे वातावरण
- AC कमरा (VIP)

CALL: 9519313894, 9415608783, 9415608710

आधुनिक समाचार पब्लिशिंग हाउस, यूपीएसआईडीसी, रेमण्ड रोड, औद्योगिक थाने के पीछे भारत पेट्रोलियम के पहले, औद्योगिक क्षेत्र, नैनी, प्रयागराज



